अध्याय XIV : विद्युत मंत्रालय

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड

14.1 पनबिजली भत्ते का अनियमित भुगतान

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के नियमों एवं शर्तों के विरूद्ध अपने कर्मचारियों को कठिनाई भत्ते के साथ-साथ पन बिजली भत्ते का भी भुगतान किया था, जो अक्तूबर 2006 से दिसम्बर 2012 की अवधि के दौरान ₹4.95 करोड़ के अनियमित भुगतान में परिणत हुआ।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के धारा 97 के अनुसार, केन्द्र सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), नई दिल्ली द्वारा 11 दिसम्बर 1974 को अधिसूचित भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का गठन किया था।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.) ने 19 जुलाई 1991 को हुई अपनी 143वीं बैठक में पं.स.रा.वि.बो. द्वारा समय-समय पर संशोधित पं.रा.वि.बो. के वेतनमान की भा.ब्या.प्र.बो. के वेतनमान के रूप में भा.ब्या.प्र.बो. में कार्यरत अपने सभी कर्मचारियों के लिए, उन्हीं नियमों एवं शर्तों पर अपनाने का फैसला किया जिन पर पं.रा.बि.बो. द्वारा इनका संशोधन किया गया था। भा.ब्या.प्र.बो.ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में पं.रा.वि.बो. द्वारा समय-समय पर संस्वीकृत भत्तों/रियायतों को भा.ब्या.प्र.बो. में अपनाया जाएगा।

पं.रा.वि.बो. ने अपने कर्मचारियों केा दो वेतन-वृद्धियों के बराबर "पनबिजली भत्ते" की संस्वीकृति, शाहपुर कंडी की पनबिजली परियोजना, आनंदपुर साहिब पन बिजली परियोजना, पनबिजली संगठन के अंतर्गत माधोपुर एवं एन.एच.पी. तलवारा में 18 अक्तूबर 2006 से प्रदान की थी। यह भत्ता जोगिंदरनगर पनबिजली परियोजना के लिए संस्वीकृत नहीं हुआ था क्योंकि पं.रा.वि.बो. के कर्मचारी पहले से ही कठिनाई भत्ता ले रहे थे। अत: पनबिजली भत्ता उन कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं था जो पं.रा.वि.बो. में कठिनाई भत्ता उठा

रहे थे। जैसा कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी.सी.एल.)[1] द्वारा स्पष्ट किया गया था।

भा.ब्या.प्र.बो.[2] के छः कार्यालय के लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि भा.ब्या.प्र.बो ने 16 अप्रैल 2007 को हुई अपनी 194वीं बैठक में पं.रा.वि.बो. के पैटर्न पर दो वेतन-वृद्धि के समान पनबिजली भत्ता प्रदान करने का निश्चय किया था। यह भी तय किया गया था कि पनबिजली भत्ते को कठिनाई/अन्य किसी भत्ते के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, जो परियोजनाओं में प्रचलन में था। अतः भा.ब्या.प्र.बो. कर्मचारी, 18 अक्तूबर 2006 के पूर्व छः वेतन-वृद्धियों के बराबर कठिनाई भत्ता उठा रहे थे, उन्हें दो वेतन-वृद्धियों के बराबर पनबिजली भत्ता भी दिया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि भा.ब्या.प्र.बो. का पनबिजली भत्ते के साथ कठिनाई भत्ता प्रदान करने का निर्णय न्याय संगत नहीं था, क्योंकि प.रा.वि.बो. (अब पी.एस.पी.सी.एल.) में भा.ब्या.प्र.बो. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी पन बिजली स्टेशन में नियुक्त कर्मचारियों को कठिनाई भत्ते के अतिरिक्त पन बिजली भत्ता की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं था। यह भा.ब्या.प्र.बो. के 19 जुलाई 1991 को हुई 143वीं बैठक में लिए गए निर्णय और पी.एस.पी.सी.एल. स्पष्टीकरण की पूरी अवमानना थी।

मामले की ओर 2008-12 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[3] के माध्यम से इंगित किया गया था, परंतु भा.ब्या.प्र.बो. द्वारा कोई निदानात्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।

---

1 पं.रा.वि.बो. का पुनर्गठन अप्रैल 2010 में पं.स.पा.कॉ.लि. के रूप में हुआ।

2 निवासी अभियंता, देहर विद्युत गृह प्रभाग जी-1 एवं जी-II, स्लैपर, अधीक्षण अभियंता, डी.पी.एच., स्लैपर, उच्च माध्यमिक विद्यालय, भा.ब्या.प्र.बो., स्लैपर एस.एम.औ., भा.ब्या.बो अस्पताल, स्लैपर, निवासी अभियंता, गंगूवाल एवं कोटला, पी.एच. प्रभाग, गंगूवाल, एवं पंडोह बांध इलेक्ट्रकल एवं मैकनिकल प्रभाग, पंडोह।

3 निवासी अभियंता, देहर विद्युत गृह प्रभाग जी-I एवं जी-II, स्लैपर, सुपरिन्टेडिंग इंजीनियर डी.पी.एच, स्लैपर आर.ई. गंगूवाल एवं कोटला पी.एच. प्रभाग, गंगूवाल एवं पंडोह बांध इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल प्रभाग, पंडोह।

इस प्रकार, भा.ब्या.प्र.बो. ने अपने कर्मचारियोंको 18 अक्तूबर 2006 से 31 दिसम्बर 2012 तक ₹4.95 करोड़ की राशि का पनबिजली भत्ते का अनियमित रूप से भुगतान किया था (**अनुबंध XIII**)।

मामले को भा.ब्या.प्र.बो., चण्ड़ीगढ़ के अध्यक्ष एवं मंत्रालय के संज्ञान में जून 2013 में लाया गया था, तथापि, उनका उत्तर मई 2014 तक प्रतीक्षित था।